न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्,औरंगाबाद।
सत्रवाद संख्या—263/21/231/21
विशाल कुमार उर्फ डब्लु बनाम् बिहार राज्य
नगर थाना काण्ड संख्या— 362/21
सी0आई0एस0सं0:—263/2021

10.07.2023 दिनांक 22.10.2021 से काराधीन आवेदक अभियुक्त राजा यादव उर्फ रंजन कुमार पिता सुनील यादव उर्फ सुनील कमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में दिनांक 21.06.2023 को दाखिल जमानत आवेदन तथा दिनांक 31.08.2022 से काराधीन आवेदक अभियुक्त— प्रभा देवी पति स्व0 जीतु कुमार सिंह उर्फ जीतु मेहता की ओर से दिनांक 03.06.2023 को दाखिल जमानत आवेदन को आज उनके विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा संचालित किया गया जो नगर थाना काण्ड संख्या 362/21 अंतर्गत धारा 302,120(B)/34 भा0दं0वि0 तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। उक्त दोनों जमानत आवेदन नगर थाना काण्ड संख्या 362/21 से संबंधित होने कारण एक ही साथ निष्तारण किया जाता है।

विद्वान विधिज्ञ आवेदकगण अपना जमानत आवेदन को संचालित करते हुये कहते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है और जैसा प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है वैसा कोई अपराध कारित नही किये है। आवेदक अभियुक्तगण का किसी अन्य वरीय न्यायालय में कोई जमानत का आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त राजा यादव का इस वाद के अलावे अरवल थाना काण्ड संख्या 264/2021,दिनांक 31.08.2021 को धारा 25(1-b) A,26/35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज है।आवेदक अभियुक्त को इस वाद में सूचक के बयान के आधार पर झुठा फॅसा दिया गया है। आवेदन में आगे कहा गया है कि सूचिका के स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार उसने अपने पति की हत्या साजिश के तहत करवाया है। सूचिका के स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार वह अमित कुमार उर्फ बिटु उर्फ नेपाली से प्रेम करती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी। आवेदक का सूचिका से कोई सरोकार नहीं था। आवेदक अभियुक्त के द्वारा सूचिका के पति की हत्या नहीं किया है और न ही उस पर हत्या करने का कोई विशिष्ट आरोप है। आवेदक अभियुक्त राजा यादव उर्फ रंजन कुमार के कब्जे से कोई आपतिजनक समान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त राजा यादव उर्फ रंजन कुमार दिनांक 22.10.2021 से कारा में निरूद्व है। आवेदिका अभियुक्त प्रभा देवी का नाम इस वाद में अजय मेहता और ज्योती कुमारी जो स्व0 मोहन महतो का पुत्र और पुत्री है के बयान के आधार पर जीतु कुमार और प्रभा देवी के द्वारा अंतरजातीय

लगातार.....

विवाह किये जाने के कारण पूर्व दुश्मनी के कारण दिया गया है। आवेदिका प्रभा देवी के कब्जे से कोई आपतिजनक समान बरामद नहीं हुआ है। आवेदिका प्रभा देवी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका अभियुक्त का एक पॉच वर्ष का लड़का है जो अजय मेहता के साथ रहता है वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। आवेदिका अभियुक्त प्रभा देवी दिनांक 31.08.2021 से कारा में निरूद्व है। सूचिका ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पति जीतु कुमार उर्फ जीतु की हत्या अपने प्रेमी अमीत कुमार उर्फ बिटु उर्फ नेपाली के सहायता से करवाने की बात को स्वीकारी है। आवेदक अभियुक्तगण इस आशय का शपथ देने को तैयार है कि वे विचारण में सहयोग के लिए न्यायालय के आदेश पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभिुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं नगर थाना काण्ड संख्या 362/21 के प्राथमिकी एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्राथमिकी, आवेदक अभियुक्त व अन्य के विरूद्व भा0दं0वि0 की धारा 302,120(B)/34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक राजा यादव उर्फ रंजन कुमार प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्रभा देवी इस वाद की सूचिका है परन्तु सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस काण्ड के सूचिका प्रभा देवी का नाम इस वाद में अभियुक्त के रूप में आया है और प्रभा देवी ने भी वाद दैनिकी के कंडिका 31 में अपने स्वीकारोक्ति ब्यान में अपने पति की हत्या अन्य अभियुक्तों के द्वारा करवाये जाने की बात कही है। अभियुक्तों के विरूद्व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस वाद में आरोप का गठन दिनांक 02.02.2022 को धारा 302/34,120(B) भा0दं0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तुत वाद अभियोजन साक्ष्य के प्रकम पर चल रहा है और इस वाद में अब तक दो साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है एवं उनके द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन किया गया है। अभियोजन के द्वारा ससमय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विचारण पूर्ण नहीं हो सका है। गवाहों के विरूद्व अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के है। वाद के सह अभियुक्त का जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदक

लगातार.....

अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने पर इनके द्वारा फरार होने एवं साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की भी संभावना है। अतः काराधीन आवेदक अभियुक्तगण राजा यादव उर्फ रंजन कुमार तथा प्रभा देवी की ओर दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित

दिनांकः—10/07/2023

अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्
औरंगाबाद।